



ओवरहेड टैंक की उपलब्धता, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, यूनिफार्म का वितरण, स्कूल बैग का वितरण इत्यादि) की रिपोर्ट तैयार की जाये जिसे ग्राम शिक्षा समिति /अभिभावक अध्यापक संघ को उपलब्ध कराया जाये ताकि उनका फीडबैक प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त इन बिंदुओं पर वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार की जाये तथा तैयार सूचना का पोस्टर (चार्ट पेपर पर हाथ से निर्मित) तैयार कर विद्यालय के सूचना-पट्ट पर तथा ब्लाक/ न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के सूचना- पट्ट पर चस्पा करायें।

5. ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में जिला सूचना प्रबन्धन प्रणाली (डायस) के महत्व व उसके प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिये सूचित किया जाये। प्रधानाध्यापकों द्वारा अभिभावकों से बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिये सतत् रूप से प्रयासरत रहने का अनुरोध किया जाये। विशेषकर जिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम है उनके अभिभावकों को नियमित रूप से छात्र/छात्राओं को विद्यालय भेजने का अनुरोध किया जाये। 01-30 सितम्बर10
6. विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों की 100% सैम्पल चेकिंग न्याय पंचायत संसाधन केंद्र समन्वयकों द्वारा की जायें। 08-11 अक्टूबर10
7. विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों की 25% सैम्पल चेकिंग ब्लाक संसाधन केंद्र के समन्वयकों द्वारा की जायें। 12-15 अक्टूबर10

उक्त के अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा 2009-10 में विद्यालयों के 5% सैम्पल चेकिंग के संबंध में संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट "Major Findings & Observations" जनपदों को ई-मेल की गयी हैं। अतः वर्ष 2010-11 में डायस डाटा एकत्रीकरण, इन्ट्री एवं संकलन के दौरान इन बिन्दुओं पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए निर्धारित उक्त समय सारिणी के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)

अपर राज्य परियोजना निदेशक